आजादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–संस्था 24(4)(5)च.श्रे.कर्म./संविदा/अभि./21/ 5569-80 दिनांक 17/05/2022

– आदेश –

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी.नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड–पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे के अनुसार (परिशिष्ठ–क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रुप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क.स. 1	आवेदक का नाम 2	जन्म तिथि 3	सेवा निवृत से पूर्व विभाग का नाम 4	अभियोजन कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है। 5	वि.वि. 6
1.	श्री मनोहर लाल तेली	10.04.1959	स.नि.अ. उदयपुर	स.नि.अ. उदयपुर	तृतीय बार
2.	श्री तेज सिंह	18.04.1958	स.नि.अ. उदयपुर	स.नि.अ. उदयपुर	तृतीय बार
3.	श्री कुंभाराम	02.03.1959	स.नि.अ. नागौर	स.नि.अ. नागौर	तृतीय बार
4.	श्री गटू खराडी	28.01.1958	स.नि.अ. डूंगरपुर	स.नि.अ. डूंगरपुर	तृतीय बार। कार्यग्रहण दिनांक से 01 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण, जो भी पहले हो तक।

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगें।
2. पुनः नियुक्त कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/– के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेगें।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेगें।

4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनर्नियुक्त सेवानिवृत कर्मचारियों की **सेवा अवधि कार्यग्रहण दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिए** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। **संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।**
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014–00–114–02–01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
7. यह आदेश कार्मिक(क–2) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 744/DOP/A-21 दिनांक 21.04.22 एवं वित्त विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.स. 182200386 दिनांक 04.05.22 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत कार्मिकों को वर्णित शर्तों के अनुरुप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

sd/-
(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप–10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन————————
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन ।
5. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली

16/5

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariate,
Jaipur(Rajasthan), Pincode: 302005, Phone & Fax: 0141-2227806
Email address: prosecution@rajasthan.gov.in